इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7] भोपाल, बुधवार, दिनांक 8 जनवरी 2020—पौष 18, शक 1941

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2020

क्र. एफ—2—5—2019—सात—शाखा—7.— भारत के संविधान की पांचवी अनुसूची के पैरा 5 के उप—पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, यह निर्देश देते हैं कि मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 165 की उपधारा (6 ड.ड.) के उपबंध तथा उक्त संहिता की धारा 172 की उपधारा (6—क) के उपबंध, जो अधिसूचना क्रमांक एफ. 16—1—81—दो—पच्चीस, दिनांक 15 अप्रैल, 1981 द्वारा अंतःस्थापित किए गए थे, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 37—4—सात—2—84 द्वारा यथा संशोधित है, जो राज्य में अधिसूचित क्षेत्र में लागू हैं, विलोपित किए जाएं तथा उक्त अधिसूचना की उपधारा (6—च) में कोष्ठक, अंक तथा अक्षर "(6—ड.ड.)" के स्थान पर, कोष्ठक, अंक तथा अक्षर "(6—ड.)" स्थापित किए जाएं.

लाल जी टंडन
राज्यपाल,
मध्यप्रदेश.

भोपाल, दिनांक 8 जनवरी 2020

क्र. एफ—2—5—2019—सात—शा.—7.— भारत के संविधान के अनुच्छेद क्रमांक 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, राज्यपाल द्वारा अनुमोदित अधिसूचना क्रमांक एफ. 2—5—2019—सात—शा.—7, दिनांक 2 जनवरी 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 2nd January 2020

No. F-2-5-2019-VII-Sec. 7.- In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (1) of Paragraph 5 of the Fifth Schedule of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to direct that the provisions of sub-section (6-ee) of Section 165 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) and the provisions of sub-section (6-a) of Section 172 of the said Code which were inserted *vide* Notification No. F. 16-1-81-II-XXV, dated the 15th April, 1981 as amended *vide* this department's Notification No. 37-4-VII-2-84 applicable in the Scheduled Area in the State, shall be deleted and in sub-section (6-f) of the said notification, for the bracket, figure and alphabets "(6-ee)", the bracket, figure and alphabet "(6-e)" shall be substituted.

LAL JI TANDON
Governor,
Madhya Pradesh.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2020.